न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 10/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर		1. बालाराम पुत्र श्री फूसाराम जाति-विश्नोई, निवासी पल्ली तहसील लोहावट हाल डिलीवरी बॉय वैष्णोदेवी एच.पी.गैस एजेन्सी, बीजेएस जोधपुर 2. प्रोपराईटर वैष्णोदवी एच.पी.गैस एजेन्सी बीजेएस जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थिति:- 1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री पुष्पराज पालीवाल प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 21.10.2024

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी बालाराम पुत्र श्री फूसाराम जाति विश्नोइ निवासी पल्ली तहसील लोहावट हाल डिलीवरी बॉय वैष्णोदवी एच.पी.गैस एजेन्सी बीजेएस जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 15 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 28.02.2023 को जिला प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा वैष्णोदवी एच.पी.गैस एजेन्सी की गाड़ी संख्या आरजे 19 जीएफ 9270 जो बीजेएस पुलिस चौकी के सामने खड़ी थी के सिलेण्डरों का

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2024.12.17 16:22:21 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

भौतिक सत्यापन किया गया जिसके गाड़ी में रखे पाये गये 15 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों के संबंध में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किये गये तथा न ही इनकी आवज जावक संबंधी कोई कागजात मौके पर पाए गए, जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	सिलेण्डर का वजन	कुल वजन	गैस का वजन (किलो में)
1.	HPCL	015890	19.400 कि.ग्रा.	20.00 कि.ग्रा.	0.600 कि.ग्रा.
2.	HPCL	771711	19.100 कि.ग्रा.	19.800 कि.ग्रा.	0.700 कि.ग्रा.
3.	HPCL	013902	19.00 कि.ग्रा.	19.900 कि.ग्रा.	0.900 कि.ग्रा.
4.	HPCL	004377	19.200 कि.ग्रा.	20.00 कि.ग्रा.	0.800 कि.ग्रा.
5.	HPCL	007266	19.100 कि.ग्रा.	19.600 कि.ग्रा.	0.500 कि.ग्रा.
6.	HPCL	046540	19.100 कि.ग्रा.	19.300 कि.ग्रा.	0.200 कि.ग्रा.
7.	HPCL	019622	19.500 कि.ग्रा.	20.00 कि.ग्रा.	0.500 कि.ग्रा.
8.	HPCL	018540	19.200 कि.ग्रा.	21.00 कि.ग्रा.	0.800 कि.ग्रा.
9.	HPCL	008758	19.200 कि.ग्रा.	20.500 कि.ग्रा.	1.300 कि.ग्रा.
10.	HPCL	065251	19.100 कि.ग्रा.	20.00 कि.ग्रा.	0.900 कि.ग्रा.
11.	HPCL	000525	19.300 कि.ग्रा.	21.00 कि.ग्रा.	0.700 कि.ग्रा.
12.	HPCL	205048	19.200 कि.ग्रा.	20.00 कि.ग्रा.	1.300 कि.ग्रा.
13.	HPCL	87194	19.00 कि.ग्रा.	19.900 कि.ग्रा.	0.900 कि.ग्रा.
14.	HPCL	539834	19.300 कि.ग्रा.	19.500 कि.ग्रा.	0.200 कि.ग्रा.
15.	HPCL	001983	19.400 कि.ग्रा.	19.900 कि.ग्रा.	0.500 कि.ग्रा.

उक्त 15 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया जाकर प्रतिनिधि मारवाड़ गैस एजेन्सी के प्रबन्धक श्री हनुमानराम पुत्र श्री भल्लाराम विश्नोई को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा मौके पर गाड़ी में 15 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का बिना किसी कागजात के पाया जाना स्पष्ट करता है कि उक्त सिलेण्डरों का उपयोग अवैध रूप से किया जा रहा था जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त 15 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहने पर प्रार्थी विभागीय पेरोकार की की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री पुष्पराज पालीवाल प्रवर्तन अधिकारी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा वक्त जांच मौके पर गाड़ी में एच.पी.गैस के 15 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर बिना किसी कागजात के पाए गए, जिनका उपयोग अवैध रूप से किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में [illegible] द्वारा 15 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का उपयोग अवैध रूप से किया [illegible] आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त 15

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2024.12.17 16:22:21 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

व्यावसायिक गैस सिलेण्डर को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

हमने विभागीय पेरोकार की एकपक्षीय बहस पर मनन एवं प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वक्त जांच मौके पर उक्त 15 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर पाये गये जिसके संबंध में अप्रार्थी द्वारा किसी तरह के कागजात अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अप्रार्थी द्वारा उक्त 15 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का उपयोग अवैध रूप से किया जा रहा था जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा उक्त 15 (पन्द्रह) व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जब्तसुदा 15 (पन्द्रह) व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

23

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2024.12.17 16:22:21 IST
Reason: SelfAttested